

वनमण्डलाधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी वन या वन परिक्षेत्र अधिकारी, जिला सुरत म.प्र.

क्रमांक / सा.पत्र/स/ - 4481

सेवा, दिनांक 30-12-17

प्रति,

1. कलेक्टर
  2. सदस्य, सचिव
- जिला DEHRA DUN DELHIA,  
कलेक्टरेट परिसर,  
खनिज भवन बडवानी

विषय:- 5 हेक्टेयर से कम खनिज उत्खनन की पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये परिशिष्ट-1 में बिन्दु क्रमांक 1 से 4 के सत्यापन बाबत।

संदर्भ:- आपदा पत्र 55/215/रवा.स.दि.29/10/2017

उपरोक्त विषयांतर्गत श्री / मेसर्स सावध द्वारा खनिज खनिज क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 1.42 में माइनिंग के लिये लीज अवधि 29/11/2012 ग्राम ... तहसील ... जिला ... हेतु पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये परिशिष्ट-1 में बिन्दु क्रमांक 1 से 4 तक की जानकारी निम्नानुसार है:-

क.	निर्धारित बिन्दु	हाँ/नहीं	जानकारी विवरण (यदि हाँ है तो संपूर्ण विवरण दे)
1.	क्या 10 किमी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क स्थित है?	नहीं	—
2.	क्या 10 किमी. की परिधि में कोई अभयारण्य स्थित है?	नहीं	—
3.	क्या 10 किमी. की परिधि में कोई घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित है?	नहीं	—
4.	क्या 250 मीटर की परिधि में कोई वन क्षेत्र स्थित है? (यदि हाँ तो दिनांक 07.10.2002 से 29.08.2008 तक स्वीकृत माइनिंग लीज के लिये संबंधित जिला पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं 29.08.2008 के बाद वाली माइनिंग लीज के लिये प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में गठित समित से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें)	नहीं	—

(हस्ताक्षर एवं सील)

वन वन अधिकारी

सा (वनमण्डलाधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी)

दिनांक

(हस्ताक्षर एवं सील)

वन वन अधिकारी

सा (वनमण्डलाधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी)

दिनांक

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार जिला-बड़वानी म.प्र.  
कमांक 1805 1 R-11 17 पानकेफल, R दिनांक 30.11.17

प्रति,

- कलेक्टर जिला-बड़वानी
- सदस्य, सचिव DEIAA, कलेक्टोरेट परिसर खनिज भवन बडानी

विषय:- 5 हेक्टेयर से कम खनिज उत्खनन की पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये परिशिष्ट-1 में बिन्दु कमांक 5 से 15 के सत्यापन बाबत।

संदर्भ:-

उपरोक्त विषयांतर्गत श्री /मेसर्स रंजीत सोल्वे द्वारा खनिज उत्खनन खनिज क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 1.000 में माइनिंग के लिये लीज अवधि 99/1, 99/2 ग्राम तहसील पानकेफल जिला-बड़वानी हेतु पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिये परिशिष्ट-1 में बिन्दु कमांक 5 से 15 तक की जानकारी निम्नानुसार है:-

क.	निर्धारित बिन्दु	हों/नहीं	जानकारी विवरण (यदि हों है तो संपूर्ण विवरण दे)
5.	क्या 500 मी. की दूरी के अन्दर कोई मानव बसावट स्थित है।	नहीं	
6.	क्या 500 मी. की दूरी के अन्दर कोई जलीय निकाय स्थित है।	नहीं	
7.	क्या 500 मी. की दूरी के अन्दर कोई नदी स्थित है।	नहीं	
8.	क्या 500 मी. की दूरी के अन्दर कोई शैक्षणिक संस्थान स्थित है।	नहीं	
9.	क्या 500 मी. की दूरी के अन्दर कोई चिकित्सालय स्थित है।	नहीं	
10.	क्या 10 किमी. की परिधि में कोई अंतर्राज्यीय सीमा स्थित है	नहीं	
11.	क्या 500 मी. की दूरी के पर कोई राष्ट्रीय धरोहर/पुरातात्विक महत्व के स्थान स्थित है।	नहीं	
12.	क्या 250 मी. की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित है यदि हों तो उसका कुल क्षेत्रफल तथा खनिज का नाम	नहीं	
13.	प्रस्तावित खनिज का अनुमानित उत्पादन	15000 टन/मीटर	
14.	नदी से रेत खनन के प्रकरण में (अ) नदी किनारे से खनन परिसर की दूरी क्या है? (ब) नदी की कुल चौड़ाई का 1/5 भाग कितने मीटर है ?	-	
15.	क्या प्रस्तावित परियोजना के कारण महत्वपूर्ण जलागम (Watter Intake) या जलवहाव क्षेत्र में परिवर्तन होगा? (यादि हों तो परिवर्तन का विवरण दे)	नहीं	

प्रतिलिपि:- आवेदक

Prakash  
30.11.17

(हस्ताक्षर एवं सील) 30.11.17  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
दिनांक 30.11.17  
(हस्ताक्षर एवं सील) 30.11.17  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
दिनांक 30.11.17

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी (म.प्र.)

क्रमांक/154/खनिज/2019,  
प्रति,

बडवानी दिनांक 21.2.19


✓ सदस्य सचिव  
SEIAA  
म.प्र. पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कालोनी,  
भोपाल

विषय:- 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत उत्खनिपट्टे की जानकारी बाबत  
संदर्भ:- आवेदक श्री संजीव सावले पिता देवराम सावले, निवासी पानसेमल जिला बडवानी  
का आवेदन पत्र दिनांक 21.2.2019 ।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक श्री संजीव सावले पिता देवराम सावले, निवासी पानसेमल जिला बडवानी के पक्ष में ग्राम बालझिरी तह. पानसेमल की निजी भूमि सर्वे न. 99/1, 99/2 के रकबा 1.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर केशर आधारित उत्खनिपट्टा संबंधी सैध्दांतिक मंजूरी कार्यालयीन पत्र क्रमांक/522/ खनिज/2018 दिनांक 30.06.2018 द्वारा प्रदान की गई है।


उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र की 500 मी.की परिधि में कोई भी उत्खनिपट्टा स्वीकृत/संचालित नहीं है।

  
सहायक खनि अधिकारी,  
खनिज शाखा बडवानी  
बडवानी दिनांक

क्रमांक/ /खनिज/2016,

प्रतिलिपि :-

1- श्री संजीव सावले पिता देवराम सावले, निवासी पानसेमल जिला बडवानी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
सहायक खनि अधिकारी,  
खनिज शाखा बडवानी

**कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बडवानी म.प्र.**

क्रमांक / 522 / खनिज / 2018,  
प्रति,

बडवानी दिनांक 30-6-18

श्री संजीव सावले पिता देवराम सावले,  
निवासी पानसेमल जिला बडवानी  
विषय :- ग्राम बालझिरी तह. पानसेमल की निजी भूमि सर्वे न. 99/1, 99/2 के रकबा  
1.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर केशर आधारित पत्थर उत्खनि पट्टा स्वीकृति बाबत।

-00-

आपके द्वारा दिनांक 19.9.2017 को विषयान्तर्गत क्षेत्र पर केशर योजनान्तर्गत 10 वर्ष के लिये पत्थर खनिज हेतु उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु नवीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में वनमंडलाधिकारी वनमण्डल सेन्धवा के द्वारा संयुक्त जाच अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि नहीं है खनि रियायत स्वीकृति किये जाने हेतु आपत्ति नहीं है एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पानसेमल के द्वारा आवेदित क्षेत्र को स्वीकृति किये जाने हेतु अनुशंसा की गयी है। तहसीलदार तहसील पानसेमल के प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र स्वीकृति किये जाने की अनुशंसा की गयी है। सहायक मानचित्रकार बडवानी के प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र में मानचित्र अनुसार पर्याप्त क्षेत्र उपलब्धता होना बताते हुवे अन्य कोई आवेदन पत्र विचाराधिन नहीं होने होकर 10 वर्ष हेतु उत्खनि पट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। खनिज निरीक्षक बडवानी के प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र में पत्थर उपलब्ध होकर 10 वर्ष हेतु उत्खनि पट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। क्षेत्रीय प्रमुख भौमिकी एवं खनिकर्म म.प्र. इन्दौर से खनिज की उपलब्धता, मात्रा एवं गुणवत्ता संबंधी जानकारी प्राप्त की गई जिसमें पत्थर गिट्टी निर्माण हेतु उपयुक्त बताया जाकर उत्खनि पट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

प्रकरण के परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि आवेदक उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु पात्रता रखता है। इस आधार पर आवेदक श्री संजीव सावले पिता देवराम सावले निवासी पानसेमल जिला बडवानी को ग्राम बालझिरी तहसील पानसेमल की निजी भूमि सर्वे नम्बर 99/1, 99/2 के रकबा 1.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर पत्थर खनिज हेतु उत्खनि पट्टे की सैद्धांतिक मंजूरी म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के 18 (2) के तहत प्रदान की जाती है। आवेदक को ऐसी सूचना के छः माह के भीतर अनुमोदित खनन योजना एवं "डिया" की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

पृ.क्र. / 523 / खनिज / 2018,

प्रतिलिपि -1- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल की ओर सूचनार्थ।

2- तहसीलदार, पानसेमल जिला बडवानी की ओर सूचनार्थ।


3- खनिज निरीक्षक बडवानी की ओर सूचनार्थ।

सहायक खनि अधिकारी,  
खनिज शाखा, बडवानी

बडवानी दिनांक 30-6-18

सहायक खनि अधिकारी,  
खनिज शाखा, बडवानी

ग्राम पुरवा, इले नकशा, ग्राम बालुमिरी  
 पटवारी: खण्डा नं. ११. स्थलीय पानसेमल जिला - अडवाती  
 वर्ष १९९६-९७



पृष्ठ क्र. १

भूमि का व्याज इंतजाम में एंव करो का व्यंग रूपसे पैसा में

फार्म पी-11  
खसरा

तिथि: ०९/०९/२०१७ १५:११

NIC-VER4-gp\_bhar  
148770054982

ग्राम बालाडिरी हल्का [३४] बालाडिरी रा. नि. नं पानसमल तहसील पानसमल जिला बड़वानी वर्ष २०१७-२०१८

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाल में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तगत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	रा. नि. नं	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मालकी कोशतक के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाल की भूमि				अन्य पट्टों अथवा पट्टों का क्षेत्रफल	खालों के बाहर के क्षेत्रों में बाँडे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कोटेशन	
					क्षेत्रफल	फसल का नाम	दुकमाली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पट्टी				२ से ५ वर्ष तक की पट्टी
१	१.१९८	सजोव पिता देवगाम जाति काली पता निवासी ग्राम पानसमल भूमि स्वामी भू-राजस्व ५.७४	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१/१०	०.८०९	सजोव पिता देवगाम बगरह नं. १/१० भू-राजस्व ३.८८			कपास	सि १.००० अ ०.१९८						सिचाई नलकूप (विद्युत मिनी) में यह नमीन सिंचित है। कुआ कच्चा है नामा पं. क्र. ६ श्रीमान यह मही का आदेश क्र. २४-५-०१७ के द्वारा बिक्री नामा स्वीकृत



भारत सरकार या उसके अन्य प्राधिकार  
प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर  
नाम, पद एवं पिनकोड:

तहसील  
पानसमल

कार्यालय ग्राम पंचायत बालझिरी जनपद पंचायत पानसेमल  
जिला-बडवानी (म.प्र.)

क्रमांक/०/जी.म./2017

दिनांक 24/08/2017

प्रस्ताव क्र. 07	ठहराव दिनांक 15/08/2017												
<p>विवरण:- ग्राम पंचायत बालझिरी क्षेत्रांतर्गत संजीव देवराज के वृषी भूमि सर्वे नं. 99/1 व 99/2 मे एकूण 2.007 मे जी.टी. मशरुफ (केशर मशरुफ) व जी.टी. अदालत डालने बाबत</p>	<p>द्वारा दिनांक 15.08.2017 की ग्राम सभा की बैठक मे यह प्रस्ताव पारित किया जाता है की श्री संजीव पि देवराज सावले जाती कोली इ.जी. निवासी पानसेमल द्वारा सर्वेपत्र जांचे बालझिरी को ग्राम नं. 99/1 एकूण 1.198 लगान 574 99/2 एकूण 0.809 लगान 388</p>												
<p>प्रस्तावक - श्री मशरुफ कालु मशरुफ</p>	<p>02 2.007 962 पत्रांग नं. 11 मे जी.टी. मशरुफ (केशर मशरुफ) व जी.टी. अदालत डालने</p>												
<p>अनुमोदक - ग्राम सभा</p>	<p>हेतु जांचे का दायित्व हेतु जांचे प्राप्त हुआ है।</p>												
	<p>इत: प्राप्त जांचे के आधार पर सर्वानुमती मे यह प्रस्ताव पारित किया जाता है की श्री संजीव देवराज सावले जाती कोली इ.जी. की स्वयं की वृषी भूमि निम्न प्रकार</p> <table border="1" data-bbox="670 1736 1556 1937"> <thead> <tr> <th>सर्वे नं.</th> <th>एकूण</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99/1</td> <td>1.198</td> <td>574</td> </tr> <tr> <td>99/2</td> <td>0.809</td> <td>388</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>2.007</td> <td>962</td> </tr> </tbody> </table>	सर्वे नं.	एकूण	लगान	99/1	1.198	574	99/2	0.809	388	02	2.007	962
सर्वे नं.	एकूण	लगान											
99/1	1.198	574											
99/2	0.809	388											
02	2.007	962											
	<p>इस भूमि पर जी.टी. मशरुफ (केशर मशरुफ) व जी.टी. अदालत डालने की इच्छा है।</p>												

कार्यालय ग्राम पंचायत बालझिरी जनपद पंचायत पानसेमल  
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

क्रमांक / 383 / अ.प. / 2017

बालझिरी दिनांक 24 / 08 / 2017

// अनापत्ती प्रमाण-पत्र //

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पिता देवराम सावले जाति कोली अ.जा. निवासी पानसेमल की कृषि भूमि ग्राम पंचायत बालझिरी क्षेत्रांतर्गत प.ह.नं. 11 में निम्नानुसार है -

खसरा नम्बर	रकबा	लगान रु.
99 / 1	1.198 हेक्टर	5.74
99 / 2	0.809 हेक्टर	3.88
कुल - 2	2.007	9.62

होकर इनकी स्वयं की कृषि भूमि है। उक्त सर्वे नं. कृषि भूमि में श्री संजीव पिता देवराम सावले जाति कोली अ.जा. निवासी पानसेमल जिला बड़वानी द्वारा उक्त जगह पर गीटटी मशीन (क्रेशर मशीन) व गीटटी खदान डालते हैं तो ग्राम पंचायत बालझिरी को कोई भी आपत्ती नहीं है।

अतः यह प्रमाण पत्र श्री संजीव पिता देवराम सावले जाति कोली अ.जा. निवासी पानसेमल के आवेदन के आधार पर जारी किया गया है। सो सही।

बालझिरी, 24/08/17

383

383